ग्राम पंचायत खड़ीहार, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खड़ीहार, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सीमा देवी	01.04.13 से 22.1.16
2	श्रीमती रानी देवी	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री हेम सिंह	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत खड़ीहार के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	प्राप्त ब्याज को रोकड़ बही में दर्ज न करना	0.21
2	8	अनुदान को रोकड़ बही में दर्ज न करना	1.63
3	10	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.35
4	11	अनुदान राशि का उपयोग न करना	6.15

5	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	1.66
6	14	मजदूरी के रूप में सम्भावित अधिक भुगतान	0.30

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत खड़ीहार, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 02.12.2016 से 06.12.2016 एवं 12.12.2016 से 13.12.2016 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2013–14	08/2013	03/2014
2014–15	05/2014	12/2014
2015–16	11/2015	07/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत खड़ीहार, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 170/2016 दिनांक 13.12.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खड़ीहार से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत खड़ीहार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(क) स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)			व्यय (₹)		
		स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग (₹)	स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	532317.98	38755	471520	1042592.98	21248.48	540473.00	480871.50
2014–15	480871.50	30993	336668	848532.50	17713.00	426328.00	404491.50
2015–16	404491.50	62547	1147780	1614818.50	23888.00	785730.00	805200.50

दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष

रोकड़ अनुसार ₹805200.50

बचत खाता अनुसार खाता संख्या 31610102313 ₹730312.00

बचत खाता संख्या 31610102136 ₹264571.50

हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मकरीड़ी ₹994883.50

हस्तगत राशि ₹739

(ख) मनरेगा

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	(–) 336993	1475449	1138456	1152980.00	(–) 14524.00
2014–15	(–) 14524	684251	669727	683761.00	(–) 14034.00
2015–16	(–) 14034	2126434	2112400	2127587.85	(–) 15187.85

दिनांक 31.03.2016 को अन्तिम शेष

रोकड़ बही अनुसार (–)₹15187.85

बचत खाता अनुसार ₹0.77

पंजाब नैशनल बैंक, तुलाह शाखा, खाता संख्या 2748000100227649

(ग) वाटर शैड

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	708099	91609	799708	687826.00	111882.00
2014–15	111882	162123	274005	478754.00	(–)204749.00
2015–16	(–)204749	161501	(–)43248	185570.98	(–)228818.98

दिनांक 31.03.2016 को अन्तिम शेष

रोकड़ बही अनुसार (–)₹228818.98

बचत खाते अनुसार ₹278795.54

पंजाब नैशनल बैंक, तुलाह 2748000101005680 ₹177460.77

–यथोपरि– 2748000101013720 ₹101334.77

नोटः– ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 1 से 3** में दिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत खड़ीहार की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बहियों एवं बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। यद्यपि अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान की रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान कर दिया गया है, जिसका सम्पूर्ण विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 4 से 6** में दिया गया है तथापि इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये भविष्य में रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में न तो अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज की जा रही है एवं न ही पंचायत की आय/प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ रोकड़ बहियों में दर्ज की जा रही है। पंचायत द्वारा केवल मात्र प्राप्त आय एवं व्यय को ही रोंकड़ वही में ही दर्ज कर उसका शेष शून्य कर दिया जा रहा है, जो न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है अपितु लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है, क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बही के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करने उपरान्त एवं व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम किया जाता है तथा प्राप्त अन्तिम शेष को आगामी कार्यदिवस/पृष्ठ/माह के अथशेष के रूप में दर्शाया जाता है, किन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखन में नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना की जा रही है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 एवं 10 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाये जाने के कारण पंचायत की वित्तीय स्थिति (अंकेक्षण अवधि) दर्शाने/बनाने हेतु दिनांक 01.04.2013 को पंचायत के सम्बन्धित रोकड़ बही के बचत खाते में जमा शेष राशि को वर्ष 2013–14 के अथशेष के रूप में दर्शाया गया है।

अतः पंचायत की अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों को नियमानुसार लिखा जाना सुनिश्चित करते हुये भविष्य में भी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 प्राप्त ब्याज ₹0.21 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों व सम्बन्धित बचत खातों के मिलान में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार प्राप्त ब्याज ₹20678 को रोकड़ बहियों में दर्ज नहीं किया थाः–

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	दिनांक	प्राप्त ब्याज की राशि	खाता सं0	टिप्पणी
1	स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान	30.03.2015	9577	31610102136	
2	–यथोपरि–	30.03.2015	3603	31610102313	
3	वाटरशैड	09/2014	3551	2748000101005682	पंचायत द्वारा ₹3551 ब्याज कम रोकड़ बही में लिया गया
4	–यथोपरि–	2015–16 (09/14 & 03/15)	3947	2748000101013724	
		योग	**20678**		

पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि को रोकड़ बहियों में न लिये जाने के कारण रोकड़ बहियाँ पंचायत की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करती है। अतः इस ब्याज की राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारे स्पष्टीकरण में दर्ज किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 अनुदान ₹1.63 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करनाः–

ग्राम पंचायत खड़ीहार की स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही में प्राप्त अनुदान राशियों एवं उनके बैंक में जमा की पुष्टि के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान ₹162886 को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है, जिसका सम्पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट 4"** क्रम संख्या (1) में दिया गया है।

पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा इतनी अधिक मात्रा में प्राप्त अनुदान राशियों को रोकड़ बही में दर्ज न करना न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है अपितु इस कारण पंचायत की रोकड़ बही पंचायत की सही वित्तीय स्थिति भी परिलक्षित नहीं करती है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये इन अनुदान राशियों को अविलम्ब रोकड़ बही में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म—11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 पंचायत राजस्व ₹0.35 लाख वसूली हेतु शेषः—

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹35200 की वसूली शेष थीः—

1 गृहकर

वर्ष	अथशेष (₹)	माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2013—14	19875	10425	30300	10550	19750
2014—15	19750	10675	30425	6375	24050
2015—16	24050	10875	34925	1725	33200

2 मोबाईल टावर

वर्ष	अथशेष (₹)	माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2013—14	—	2000	2000	2000	—
2014—15	—	2000	2000	—	2000
2015—16	2000	2000	4000	2000	2000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली शीघ्र करना सुनिश्चित की जाए।

11 अनुदान ₹6.15 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–7** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹615118.00 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/– व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये की राशि का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों में किया गया है, किन्तु इन समस्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की गई यह राशि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यों पर व्यय की गई इन समस्त राशियों के प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किये जाएं ताकि इन समस्त व्ययों की तदानुसार जाँच की जा सके।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹1.66 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹165841 के स्टॉक/स्टोर का क्रय अंकेक्षण

अवधि के चयनित मासों में औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–9** पर दिया गया है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोंर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 मजदूरी के रूप में ₹0.30 लाख का सम्भावित अधिक भुगतानः–

ग्राम पंचायत खड़ीहार के चयनित मासों के मस्ट्रोलों, जिनका सम्पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–8"** में दिया गया है, के अनुसार पंचायत द्वारा को मजदूरी के रूप में ₹221512 का भुगतान किया गया है। उक्त मस्ट्रोलों द्वारा किये गये कार्य की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं की जाँच में पाया गया कि इन में कार्य प्रगति की गणना करते समय लेबर एन्हान्समेन्ट (Labour Enhancement) की गलत गणना/अधिक प्रतिशतता दर्शाकर एवं विभागीय स्तर पर कार्य करवाये जाने के कारण 15**%** की दर से कम किये जाने वाले संविदाकार लाभ एवं ओवरशैड चार्जिज (Contractors profit & overhead chrges) की बढ़ौती न करने के कारण माप पुस्तिकाओं में उक्त कार्यों के विरूद्ध अधिक कार्य प्रगति दर्शाई गई है जबकि उक्त मस्ट्रोलों द्वारा किये गये कार्य की कार्य प्रगति ₹191346 बनती है, जिसका सम्पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।

इस प्रकार पंचायत द्वारा माप पुस्तिका में लेबर एन्हान्समेन्ट (Labour Enhancement) की अधिक प्रतिशतता दर्शाकर एवं निमानुसार 15**%** संविदाकार लाभ व ओवरहैड चार्जिस की कटौती न करने के कारण ₹30166 का अधिक भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया है, जिस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये इस राशि की वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त भविष्य में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

15 मजदूरी के रूप में किये गये ₹1.61 लाख के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत खड़ीहार द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में ₹161437 का भुगतान मजदूरी के रूप में निम्नविवरणानुसार किया गया थाः–

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0 क्रमांक	दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि (₹)
1	मनरेगा	126	13.3.14	6295	17.2.14 से 28.02.14	15318
2	मनरेगा	127	13.3.14	6296	17.2.14 से 28.02.14	14766
3	मनरेगा	137	27.3.14	6576	1.3.14 से 14.3.14	15318
4	मनरेगा	138	27.3.14	6577	1.3.14 से 14.3.14	11592
5	सामान्य (स्व–स्त्रोत व विभिन्न अनुदान)	69	06.03.14	19725	1.7.13 से 30.7.13	6349
6	–यथोपरि–	84	29.03.14	19715	1.6.10 से 30.6.10	1080
7	वाटरशैड	52	06.03.14	19743	1.1.14 से 30.01.14	22570
8	वाटरशैड	53	06.03.14	19744	1.1.14 से 30.01.14	18750
9	वाटरशैड	54	07.03.14	19745	1.1.14 से 30.01.14	24769
10	वाटरशैड	64	24.03.14	19746	1.2.14 से 28.2.14	16755
11	वाटरशैड	65	24.03.14	19746	1.2.14 से 28.2.14	14170
						₹161437

पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा मजदूरी के रूप में किये गये उपरोक्त भुगतान की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में इस बात की जाँच नहीं की जा सकी कि मजदूरों को वास्तव में किये गये कार्य हेतु इतनी मजदूरी देय थी अथवा नहीं?

अतः मजदूरी के रूप में किये उक्त वर्णित भुगतानों की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाएँ ताकि उनकी तदानुसार जाँच की जा सके।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
6	गैर खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 विविधः—

(क) ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2015—16 में वाउचर संख्या 47 दिनांक 21.7.15, मस्ट्रोल संख्या 873 दिनांक 03.7.15 से 16.7.15 द्वारा ₹2821 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया है। जाँच में पाया गया कि उक्त मस्ट्रोल में दिनांक 10.7.2015 को मजदूर की उपस्थिति गलत दर्शा कर उन्हें ₹162 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए।

(ख) मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2015—16 में वाउचर संख्या 50 दिनांक 21.7.2015 द्वारा मस्ट्रोल संख्या 877 अवधि 03.7.2015 से 16.7.15 के एवज में ₹16362 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया है। जाँच में पाया गया कि उक्त मस्ट्रोल के क्रम संख्या 4 में दिनांक 15.7.15 एवं

16.7.15 को अनुपस्थित मजदूर को अधिलेखन कर उपस्थित दर्शाया गया है, एवं उन्हें इन दो दिनों की मजदूरी दे दी गई है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सन्दर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये अधिक भुगतान की गई मजदूरी की ₹324 (162X2) की वसूली सम्बन्धित से की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

19 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में सुधार के अतिरिक्त रोकड़ बहियों के लेखन एवं उनकी समाधान विवरणी तैयार करने पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 19/2017–खण्ड–1 –2741–2744 दिनाँकः 19.05.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत खड़ीहार, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046